

(194)
SPEED-POST



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं. 15/1/Jharkhand/2015-Coord.

सेवा में,

मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार,
जिला— रांची

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक : 12.9.2016

15

विषय: झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (यथा संशोधित) के मॉनिटरिंग एवं कार्यान्वयन की समीक्षा के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 26.02.2016 को आयोग के माननीय अध्यक्ष, डा० रामेश्वर उरांव के समक्ष हुई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको भेजी जा रही है।

भवदीय,

(डी.एस. कुम्भारे)

अवर सचिव

प्रतिलिपि:

1. गृह सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड सरकार, जिला— रांची।
2. पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, जिला— रांची।
3. सचिव, राजस्व विभाग, झारखण्ड सरकार, जिला— रांची।
4. सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, जिला— रांची।
5. जनजातीय सचिव, झारखण्ड सरकार, जिला— रांची।
6. सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा, झारखण्ड सरकार, जिला— रांची।
7. जिलाधिकारी/उपायुक्त, जिला—धनबाद, झारखण्ड।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला—धनबाद, झारखण्ड।
9. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल दिनांक 26.02.2016 को बैठक में उपस्थित रहें।
10. अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, 14, न्यू ए.जी. को-ऑपरेटिव कालोनी, कदरू, रांची-834002 (झारखण्ड)
11. माननीय अध्यक्ष का कार्यालय।
12. सचिव महोदय का कार्यालय।
13. NIC — O/C

63217031
जारी किया
ISSUED
15/9/2016

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाईल सं^o 15/1/Jharkhand/2015-CORD दिनांक: 07.09.2016

झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन की अनुवीक्षण/समीक्षा के संबंध में डॉ. रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारादिनांक – 26/2/2016 मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार के साथ रांची में की गई बैठक का कार्यवृत्त।

झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को लागू करने पर तथा झारखण्ड में जनजातीय उप-योजना के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष, डॉ० रामेश्वर उरांव ने झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, जनजातीय सचिव तथा अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 26.02.2016 को बैठक की।

झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव ने माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के झारखण्ड राज्य में क्रियान्वयन पर संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया और अवगत कराया कि झारखण्ड राज्य में 26.2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या हैं और अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 49.51 प्रतिशत है। झारखण्ड की कुल साक्षरता दर 62.57 प्रतिशत है। झारखण्ड में अनुसूचित जनजाति की पुरुष साक्षरता दर 59.38 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 40.61 प्रतिशत है। झारखण्ड राज्य में 32 अनुसूचित जनजाति समुदाय अधिसूचित हैं।

सचिव, गृह विभाग ने बैठक में पुलिस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रकरणों पर कृत कार्यवाही की वस्तुरिथि से अवगत कराया। झारखण्ड राज्य में वर्ष 2012 में कुल 135 प्रकरण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लम्बित थे। 327 नये प्रकरण वर्ष 2012 में पंजीकृत हुये। कुल 462 प्रकरणों में से 100 प्रकरण चालान शीट के साथ न्यायालय को पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये। 276 प्रकारण अन्वेषण उपरान्त बन्द कर दिये गये। वर्ष 2013 में कुल 557 नये प्रकरण दर्ज किये गये। जिनमें से 117 प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश किया गया। 356 प्रकरण अन्वेषण उपरान्त बन्द कर दिये गये। वर्ष 2013 के अंत में कुल 244 प्रकरण दर्ज हुये। जिसमें से 158 मामलों में न्यायालय में चालान पेश किये गये तथा 389 मामले अन्वेषण उपरान्त बन्द कर दिये गये। वर्ष 2014 के अंत में 242 प्रकरण पुलिस विभाग के पास लम्बित रहे।

रामेश्वर ओरांव

डॉ. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi


अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत न्यायालयों द्वारा निर्णित मामलों की वस्तुस्थिति के अनुसार वर्ष 2012 में न्यायालयों द्वारा 16 प्रकरणों में दोष सिद्ध पाया। 29 मामलों में दोष सिद्ध नहीं हो पाया तथा 2012 के अंत में 271 प्रकरण न्यायालय में लम्बित रहे। वर्ष 2013 में 19 प्रकरणों में दोष सिद्ध पाया गया तथा 40 प्रकरणों में अभियुक्त दोषमुक्त हो गये। वर्ष 2013 के अंत में 317 मामले न्यायालयों में लम्बित रहे। वर्ष 2014 में न्यायालय द्वारा 26 प्रकरणों में दोष मुक्त पाया गया तथा 20 प्रकरणों में दोष सिद्ध हुआ। 2014 के अंत में प्रकरण न्यायालयों में लम्बित थे।

उपरोक्त पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने सलाह दी की पुलिस विभाग द्वारा 3 माह की अवधि में अन्वेषण पूर्ण कर न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा तथा विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ाने हेतु भी सलाह दी जिससे प्रकरणों का शीघ्रातिशीघ्र समाधान हो सके।

बलात्कार के 40 मामलों में अनुसूचित जनजातियों के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के रूप में 10.78 लाख रुपए, पॉस्को (बाल दुरुपयोग) के 5 मामलों में 2.65 लाख की क्षतिपूर्ति राशि, अन्य मामलों में पीड़ितों की संख्या 97 थी एवं भुगतान की गई राशि 10.8 लाख रुपए थी तथा अनुसूचित जनजाति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति की कुल राशि 24.23 लाख रुपए थी। अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 21(2)(iii)एवं नियम 12(4) के अन्तर्गत 46 अनुसूचित जनजाति पीड़ितों को विधिक सहायता उपलब्ध करवायी गयी।

खूंटी एवं रामगढ़ जिलों को छोड़कर सभी जिलों में विशेष न्यायालयों एवं आत्यंतिक विशेषन्यायालयों की स्थापना की गई है एवं अपराधों की जांच के लिए विशेष थानों की स्थापना (2014–15 में) की गई है। जिला जांच अधिकारी एवं विशेष अधिकारी अनुसूचित जनजाति से हैं। राज्य सरकार के कर्तव्यों को भली प्रकार से पूर्णतया विनियमित करने के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं करने के संबंध में बताये। आदिवासी अत्याचार क्षेत्रों की पहचान के लिए एवं जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी अन्य अधिकारियों, विभिन्न समितियों एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ के साथ समन्वय के लिए विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया गया तथा जहां अधिकारी नहीं नियुक्त किए गए उन्हें वहां नियुक्त किया जाए।

आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के नियमों एवं प्रक्रिया के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति एवं मुख्य सचिव स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित करने की सलाह दी। आयोग ने पाया कि जिला स्तर पर 29 बैठकें आयोजित की गई हैं जबकि राज्य स्तर पर कोई बैठक नहीं हुई। इन बैठकों को नियमित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि अत्याचारों से संबंधित 1355 मामले थे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सलाह दी कि न्यायालयों में आरोप पत्र


 डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
 अध्यक्ष/Chairperson
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 National Commission for Scheduled Tribes
 भारत सरकार/Govt. of India
 नई दिल्ली/New Delhi


दाखिल करने में विलम्ब होने से गवाह विद्रोही हो जाते हैं और मामला अलग रुख पकड़ लेता है जिसका परिणाम अत्याचार के पीड़ितों के नुकसान के रूप में होता है।

आयोग ने राज्य सरकार द्वारा अत्याचार पीड़ितों पर खर्च की गई राशि की सूचना उपलब्ध करवाने हेतु कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुख्य सचिव को बताया कि अभी हाल ही में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 के रूप में संशोधित किया गया है और यह 26 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुआ है। अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए व्यापक प्रचार एवं पुलिस तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसके लिए राज्य सरकार तत्काल कार्यवाही करे।

जनजातीय उपयोजना

बैठक में सचिव, जनजातीय विकास विभाग ने अवगत कराया कि झारखण्ड राज्य में जनजातीय उपयोजना का पिछले 5 वर्षों, 2011–12 से 2015–16 के लिए आवंटन एवं व्यय निम्नानुसार है—

वर्ष	कुल बजट	कुल व्यय (करोड़ में)	टीएसपी परिव्यय (करोड़ में)	टीएसपी परिव्यय की प्रतिशतता	टीएसपी व्यय
1	2	3	4	5	6
2011-12	12232.80	10280.50	6618.59	54%	5364.98
2012-13	13774.00	11309.80	7223.22	52%	5661.78
2013-14	17714.00	10455.50	8705.00	49%	3782.00
2014-15	25941.00	--	11772.00	45%	6410.00
2015-16	28186	--	13994.00	50%	5229.00




रामेश्वर 31/6

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लिए टीएसपी बजट एवं व्यय आवंटन निम्नानुसार है :

वर्ष	कुल बजट	कुल व्यय	टीएसपी बजट	टीएसपी व्यय	टीएसपी व्यय की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
2013-14	759.98	594.12	328.11	290.2	88%
2014-15	909.15	607.12	539.64	501.14	92%
2015-16	1116.00	677.30	637.84	415.84	65%



यह सूचित किया गया कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य 24 स्कीमें चलाता है। इस उद्देश्य के लिए टीएसपी बजट में से व्यय 637.84 करोड़ रूपए तथा विभागीय व्यय 415.84 करोड़ रूपए था।

झारखण्ड राज्य में टीएसपी के कार्यान्वयन के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सलाह दी कि राज्य को महाराष्ट्र मॉडल का अनुसरण करना चाहिए। यह पाया गया कि अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास में 20 प्रतिशत साक्षरता अंतराल है और इस अंतराल को भरा जाना है तथा झारखण्ड के समक्ष यह एक चुनौती है। आयोग ने मुख्य सचिव को इंगित किया कि जनजातीय क्षेत्र की स्कूलों में कोई भी विज्ञान अध्यापक एवं भाषा अध्यापक नहीं है। शिक्षा सचिव ने सूचित किया कि राज्य में 16339 अध्यापकों की रिक्तियां हैं और इन पदों को भरने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इंगित किया है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं। अध्यापक, योग्यता एवं सरकारी नीति में मापदण्डों के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं। आयोग ने राज्य के चतुराना

रामेश्वर उरांव
Dr. RAMESHWAR ORAON

अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भगत विद्यालयों का उदाहरण दिया कि इन विद्यालयों में शिक्षा का स्तर अध्यापन तथा विद्यालय के माहौल को आदर्श बनाया जाए।

अनुसूचित जनजातियों के बड़ी मात्रा में प्रवास के बारे में माननीय अध्यक्ष ने बताया कि पतझड़ के मौसम के दौरान, जीवन—यापन के लिए माता—पिता अन्य रथानों पर प्रवास करते हैं और इसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। शिक्षा सचिव ने सूचित किया कि मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत, 100 गांवों को चुना गया है और अनुसूचित जनजातियों की आय—सृजन स्कीमों के अन्तर्गत 12 सौ परिवारों को राज्य सरकार ने 2 लाख दिए। माननीय अध्यक्ष द्वारा यह सुझाव दिया गया कि झारखण्ड सरकार, शिक्षा के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसी योजना की रूपरेखा बनाए।

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं

स्वास्थ्य क्षेत्र में ध्यान दिलाया गया कि, जनजातीय लोग टीबी, मलेरिया इत्यादि से पीड़ित हैं। सुदूर क्षेत्रों में डॉक्टरों को तैनात नहीं किया गया, सचिव, स्वास्थ्य ने बताया कि कार्बाई समान रूप से की गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान दिया गया है। 500 विशेषज्ञ डॉक्टरों को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी मुददों को सुधारने के लिए एनएचआरएम स्कीमों के तहत नियुक्त किया जा रहा है।

स्वास्थ्य सचिव ने उल्लेख किया कि ओपीडी सेवा को देखने के लिए बायोमिट्रिक मशीन लगायी गयी हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत प्रमुख भी स्वास्थ्य केन्द्रों का अनुवीक्षण कर रहे हैं। सभी विभाग उपयोजना के तहत बजट आवंटन कर अपनी विभागीय योजनाओं को अधिकाधिक रूप से जनजातीय लोगों को लाभान्वित करें।

रामेश्वर ओरा^१

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi